न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I. (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या / 2015 / 68

1. रामलाल
2. बंशीलाल
3. रामस्वरूप

पुत्रान् श्री जयनारायण जाट, जाति जाट, निवासी–ग्राम दहमीकंला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती अनिला कोठारी धर्मपत्नि नवरतनमल कोठारी, जाति महाजन, निवासी–मकान नं. 1928, लाल हाथियों के मंदिर के पास, नाहरगढ रोड, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. गोदूराम
3. कानाराम

पुत्रान् स्व0 भूरा जाट, जाति जाट,

4. झमरी देवी पत्नि स्व0 श्री घासीराम जाट
5. नोरतन
6. बाबूलाल

पुत्रान् घासी जाट, समस्त निवासीयान् – ग्रांम दहमीकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 जरिये प्रबंधक कार्यालय–22 गोदाम, सहकार मार्ग, जयपुर।

–अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 02.02.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र टीआई इस आशय के साथ पेश किया गया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि स्थित ग्राम दहमीकलां पटवार हल्का दहमीकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित जिसके हाल खसरा नंबर 2015 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2022 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2023 रकबा 1.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2024 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2041 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2070 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2073 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2074 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2075 रकबा 0.03

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रक़बा 2.68 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 है एवं उक्त भूमि में प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 भी सहःकाश्तकार है एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 का हिस्सा 1/2 है। प्रार्थीगण उक्त शामलाती भूमि पर मनबट से काबिज होकर बिना किसी बाधा के अपने बुजुर्गान के समय से ही लगातार काश्त कर रहे है। उक्त हाल खसरा नंबरान के साबिक खसरा नंबर 1159/1392 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा है। साबिक खसरा नंबर 1159/1392 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली से परिवर्तित रकबा 2.43 हैक्टेयर होता है लेकिन भू-प्रबंध कर्मियो ने हाल खसरा नंबरान् के रूप में उक्त साबिक खसरा नंबर का परिवर्तित एरिया 2.68 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर रखा है जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 अपनी पूर्व माप व डोल मेर के अनुसार ही काबिज काश्त है। राजस्व रिकॉर्ड में की गई त्रुटि के कारण पडौसी काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 हाल नक्शे के आधार पर जो भी त्रुटि पूर्ण है के आधार पर जबरन प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के हिस्से पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करना चाहती है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 अपने साबिक नक्शे, रिकॉर्ड व डोल मेड के अनुसार ही काबिज काश्त है। दोराने द्वितीय पैमाईश भू प्रबंध कर्मियों ने राजस्व रिकॉर्ड में मनमर्जी करते हुए हाल खसरा नंबरान् का रकबा 0.25 हैक्टेयर बेशी कर दिया जो कि मौके पर मौजूद नही है। जिसका नोट राजस्व कमियों ने राजस्व रिकॉर्ड हाल तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल में भी दर्शा रखा है। जिसके आधार पर वर्तमान जमाबंदी में भी अधिक रकबा दर्शित है तथा हाल नक्शे में अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नंबर 2014 के रकबा को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के खातेदारी के गत खसरा नंबर 1159/1392 के रकबे में आंशिक हिस्सा दर्शा दिया गया है जो कि गलत है एवं अप्रार्थी संख्या 1 उक्त हाल नक्शे के आधार पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के खातेदारी भूमि के आंशिक हिस्से में अतिक्रमण कर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करना चाहती है जिसका कि अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त गलती के आधार पर कोई विधिक अधिकार हासिल नही है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 01.08.2015 को एलानिया जाहिर किया की अप्रार्थी संख्या 1 अपनी उँची राजनैतिक पहूच एवं सम्पन्ता से शीघ्र ही हाल नक्शे के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में अतिक्रमण कर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करेगी जिस पर प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस को देखने पर भू प्रबंध कर्मियो की उक्त गलती की जानकारी सर्वप्रथम हुयी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

इसलिये वाद कारण अप्रार्थी संख्या–1 की धमकी से उत्पन्न होने से निरन्तर जारी है इसलिये यह वाद बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज एवं अस्थायी निषेधाज्ञा श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में अतिक्रमण, बाउण्ड्रीवाल ना तो स्वयं करे, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या दीगर व्यक्ति से करावे, एवं मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रार्थीगण के हक में उचित समझे अप्रार्थी संख्या 1 से दिलवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 एक की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वाकै ग्राम दहमीकलां पटवार क्षेत्र दहमीकलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 2015, 2022, 2023, 2024, 2041, 2070, 2073, 2074, 2075 कुल किता 9 रकबा 2.68 है0 यानि 212 बिस्वा (10 बीघा 12 बिस्वा) में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की मनबटानुसार कांबिज होना स्वयं साबित करें। साबिक खसरा नंबर 1159/1392 जिसका रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा रहा है, ऐसी अवस्था में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 के पास 1 बीघा भूमि किस प्रकार अधिक कब्जे में रही कहीं स्पष्ट नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 के वास्तविक हक–हकूक 9 बीघा 12 बिस्वा मैट्रिक प्रणाली अनुरूप परिवर्तित करबा 2.43 है0 होता है पर पूर्व माप व डोल के अनुसार काबिज होना स्वीकार करते हुए केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तित क्षेत्रफल 2.68 है0 कर दिये जाने की वजह से मिन उत्तरदात्री द्वारा तनाजा एवं निर्माण की बात अंकित की है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण केवल मात्र 2.43 है0 पर ही काबिज है। दिनांक 01.08.2015 का वाका सरासर मिथ्या, मनगढंत है। अतः दिनांक 01.08.2015 को मिन अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थीगण की कोई बातचीत होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। मिन अप्रार्थी संख्या 1 अपनी अपनी हक–हकूक की भूमि पर दाखिल व काबिज है जिसे हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने को स्वतंत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 अथवा उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा कभी भी प्रार्थीगण की भूमि पर प्रवेश, कब्जे या निर्माण का कोई प्रयास नही किया गया बल्कि स्वयं प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

द्वारा ही अप्रार्थी संख्या 1 को अपने कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि पर विधि सम्मत कार्य चारदीवारी के निर्माण में बदनियति से एवं कब्जा करने की नीयत से निरन्तर बाधा उत्पन्न की जा रही है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार किसी भी प्रकार से नहीं है। जिसके लिए स्वयं प्रार्थीगण को पाबंद किये जाने की आवश्यकता है कि वे उक्त चारदीवारी के निर्माण के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थीगण को कोई वाद हैतुक उत्पन्न न होने से वाद पत्र इसी बिनाह पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादिनी संख्या 1 द्वारा कभी भी वादीगण की भूमि पर प्रवेश, कब्जे या निर्माण का कोई प्रयास नहीं किया गया बल्कि स्वयं वादीगण द्वारा ही प्रतिवादिनी संख्या 1 को अपने कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि पर विधि सम्मत पत्थरगढी के कार्य में बदनियति से एवं कब्जा करने की नियत से निरन्तर बाधा उत्पन्न की जा रही है। श्रीमान् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय, जयपुर द्वारा दिनांक 01.02.2016 को मिन उत्तरदात्री के हक में खसरा संख्या 2014 के पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये है जिसमें कि वादीगण प्रत्यर्थी थे। वादीगण को उक्त विधिसम्मत कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार किसी भी प्रकार से नही है। अतः वादीगण का कोई प्रथमदृष्टया केस वाद पत्र की मदाद से बित नहीं है ना ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है। वादीगण ने प्रारंभ से ही वादपत्र में स्वीकार किया है कि साबिक रकबे व नक्शे में उसका हकूक केवल मात्र 9 बीघा 12 बिस्वा पर रहा है। ऐसी अवस्था में वादीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। चुनांते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु सर्वमान्य सिद्वांत प्रथमदृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति न होने की अवस्था में वाद वादीगण नाकाबिले पेश रफत है। मिन उत्तरदात्री के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 2014 जिसके बारे में प्रार्थीगण/वादीगण ने मद संख्या 3 में मात्र कयासात के आधार पर अपने भू-भाग को आंशिक रूप से मानते हुए तनाजा अंकित किया है जबकि खसरा नंबर 2014 साबिक नंबर 1160 का हिस्सा है जिसके संबंध में प्रार्थीगण, प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 एवं उनके पूर्व हक–हकूक अधिकारो का भी कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

शेष अप्रार्थीगण द्वारा जवाब टीआई पेश नही करने पर जवाब टीआई का अवसर बंद किया गया। पत्रावली में बहस टीआई वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस टीआई सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तवेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है मूलवाद का निस्तारण साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

किया जाना है अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, व अपूर्णीय क्षतिपूर्ति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में अंकन की वादग्रस्त आराजीयात हाल खसरा नंबर कुल किता 9 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 खातेदार काश्तकार है। उक्त हाल खसरा नंबर का साबिक रकबा 1159/1392 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा था। लेकिन भू–प्रबंध कर्मियो ने हाल नंबरान के रूप में उक्त साबिक नंबर का परिवर्तित एरिया 2.43 हैक्टेयर के स्थान पर 2.68 हैक्टेयर रिकॉर्ड में दर्ज कर रखा है। जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 अपनी पूर्व माप व डोल मेर के अनुसार ही काबिज काश्त है। राजस्व रिकॉर्ड में की गई त्रुटि के कारण पडौसी काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 हाल नक्शे के आधार पर जो त्रुटिपूर्ण है के आधार पर जबरन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के हिस्से पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करना चाहती है। हाल नक्शे में प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नंबर 2014 के रकबा को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के खातेदारी के गत खसरा नंबर 1159/1392 के रकबे में आंशिक हिस्सा दर्शा दिया गया है जो कि गलत है एवं प्रतिवादी संख्या 1 उक्त हाल नक्शे के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के खातेदारी भूमि के आंशिक हिस्से में अतिक्रमण कर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करना चाहती है जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त गलती के आधार पर कोई विधिक अधिकार हासिल नही है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों से स्पष्ट नही हो पा रहा है कि प्रार्थीगण अपने किस विशिष्ट खसरा नंबर व भू–भाग जिसकी लगवा भूमि प्रार्थीगण की है के संबंध में अनुतोष चाहते है ना ही प्रार्थीगण यह स्पष्ट कर पाये है कि अप्रार्थी संख्या 1 के हाल खसरा नंबर 2014 के रकबा को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के खातेदारी के गत खसरा नंबर 1159/1392 में से बने किस हाल खसरा में किस दिशा में दर्शाया गया है। हॉं, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हाल नक्शा ट्रेस से व प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से यह तो जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के हाल खसरा नंबर 2014 की सीमा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी के खसरा नंबर 2015 से लगती हुई है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कही भी अंकित नही किया गया है कि संयुक्त खातेदारी के हाल खसरा नंबर 2015 में अप्रार्थी संख्या 1 विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बनता प्रमाणित नही होता। अतः प्रार्थना पत्र पोषनीय न होने से खारिज किया जाता है।

सही निर्णय आज दिनांक 02.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय